

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 123/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजकीय प्रवेशिका विधालय शहर प्रधानाध्यापक	संस्कृत जरिये	राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

- श्री अनवर टावरी, लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बालोतरा प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- तहसीलदार पचपदरा विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक-05/01/2023

01. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा बालोतरा प्रथम में भूमि खसरा संख्या पुराने 299 रकबा 25.17 बीघा अवस्थित रही हैं, बालोतरा के दो सेटलमेंट ऑपरेशन प्रभाव में आये हैं, दोनों भू-प्रबन्धों की जरीब नाप में अंतर रहा है। तत्समय में भूमि खसरा संख्या पुराने 299 रकबा 25.17 बीघा भूमि आबादी भूमि नगर पालिका बालोतरा क्षेत्र के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी विभाग पब्लिक विभाग हैं, इसका उद्देश्य आमजन को शिक्षा सेवायें प्रदान कराना हैं, प्रार्थी विभाग को उक्त भूखण्ड पुखराज पारसमल गोलेच्छा चेरीटेबल ट्रस्ट मुम्बई स्थानीय सर्पक ई-15 औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा द्वारा सप्रेम भेंट कर जनसहयोग से भवन का निर्माण करवाया गया, जिसका कब्जा शिक्षा विभाग को सौंपा गया, तब से इस परिसर में विधालय संचालित हो रहा हैं, प्रार्थी शिक्षा



विवेक व्यास  
5.1.2023  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

विभाग का मौके पर कब्जा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेखों के दस्तावेज के माध्यम से हैं, जो दस्तावेजात के जरिये मौके पर काबिज हुए, मौके पर प्रार्थी के मालिकाना स्वामित्व टाइटल के नाप, पड़ोस की हद की भूमि की सुरक्षार्थ चारदीवारी तामीर विधालय भवन बना हुआ है, उक्त चारदीवारी किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि या प्रतिबंधित श्रेणी की अन्य भूमि की परिधि में नहीं है, क्योंकि औषधालय के बिल्डिंग दक्षिण में डामरीकरण पक्की सड़क, उसके आगे पक्की दीवार हैं, तथा उससे आगे तटबंदी/हदबंदी की दीवार बनी हुई है, उसके आगे/बाद लूणी नदी की भूमि आयी हुई हैं, जहां पर लूणी नदी का बहाव क्षेत्र हैं, प्रार्थी विभाग की भूमि की हद में कभी भी लूणी नदी का बहाव क्षेत्र नहीं रहा और न हैं। कि वर्तमान खसरा संख्या 1741/982 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दरमियान अशुद्ध रूप से कर दी गई, जबकि सेटलमेंट विभाग, को भूमि की किस्म या भूमि की आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यदि मूल पुराने खसरा संख्या को आधार बनाकर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड नक्शा की दुरस्ती की जाती है, तो प्रार्थी विभाग के स्वामित्व की भूमि लूणी नदी के बहाव क्षेत्र से करीब 250 फीट से अधिक दूरी पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड नक्शा में हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त की जाकर मौके पर काबिज प्रार्थी विभाग के खसरा संख्या पुराने 299 में होना मानकर उसकी स्थाई बिन्दु से नाप करने के बाद पुराने आबादी के खसरान के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्के तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

02. प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

03. विवादित भूमि की मौका एवं रेकॉर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई।

04. प्रार्थी की ओर से अपने आवेदन-पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में उखण्ड अधिकारी बालोतरा को दिया गया पत्र दिनांक 05.5.2022 की फोटोप्रति, दिनांक 18.4.2022 की फोटोप्रति, माननीय राज. उच्च न्यायालय प्रार्थना पत्र संख्या 06/2021 की फोटोप्रति, बोर्ड प्रस्ताव संख्या 04/18.2.95 की फोटोप्रति, नगरपालिका बालोतरा का दिनांक 19.10.95 की फोटोप्रति, भूमि आवंटन का पत्र, भूमि आवंटन की कार्यवाही दिनांक 31.1.99 की फोटोप्रति, भूमि आवंटन की कार्यवाही दिनांक 30.3.98 की फोटोप्रति, पारसमल चेरिटेबल ट्रस्ट का पत्र दिनांक 02.7.2022 की फोटोप्रति, राज्य सरकार का पत्र दिनांक 28.5.2013



*(Signature)*  
5.1.2023  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

की फोटो प्रति व माननीय राज.उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 11.4.2022 की फोटो प्रति पेश की गई।

05 उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि सरहद मौजा बालोतरा में स्थित लूणी नदी बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण होना बताकर ऐसे अतिक्रमण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पिछिन संख्या 544/2020 दायर हुई,माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौके पर लूणी नदी में अतिक्रमण को पूर्व में की गई नाप सीमाज्ञान की रिपोर्ट को आधार बनाकर हटाने का निर्णय पारित किया,ऐसे निर्णय के प्रकरण में प्रार्थी विभाग पक्षकार नहीं थे,इसलिए प्रार्थी विभाग ने उक्त रिट याचिका में पक्षकार बनाने के आवेदन प्रस्तुत किये,जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर रिट याचिका में पक्षकार जोड़ा गया। माननीय न्यायालय की आदेश की पालना में हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया,कि सरहद मौजा बालोतरा प्रथम में भूमि खसरा संख्या पुराने 299 रकबा 25.17 बीघा अवस्थित रही हैं,बालोतरा के दो सेटलमेंट ऑपरेशन प्रभाव में आये हैं, दोनों भू-प्रबन्धों की जरीब नाप में अंतर रहा है। तत्समय में भूमि खसरा संख्या पुराने 299 रकबा 25.17 बीघा भूमि आबादी भूमि नगर पालिका बालोतरा क्षेत्र के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी विभाग पब्लिक विभाग हैं, इसका उद्देश्य आम जन को शिक्षा सेवार्थें प्रदान कराना हैं, प्रार्थी विभाग को उक्त भूखण्ड पुखराज पारसमल गोलेच्छा चेरीटेबल ट्रस्ट मुम्बई स्थानीय सम्पर्क ई-15 औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा द्वारा जन सहयोग कर भवन निर्माण करवाया गया, इस बाबत नगरपालिका की बैठक दिनांक 31.01.1997 को प्रस्ताव संख्या 04 के जरिये निशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई, राज्य सरकार से बजट स्वीकृत नहीं होने से सम्पूर्ण खर्चा दानदाताओं द्वारा किया गया, दानदाता द्वारा भवन बनाकर दिनांक 13.10.2002 को उद्घाटन करवाया गया,तब से विद्यालय नवीन भवन में प्रारंभ हुआ, जो वर्ष 2013 में प्रवेक्षिका से माध्यमिक स्तर के लिए क्रमोन्नत हुआ, जो जनहित के उपयोग उपभोग हेतु लिया जा रहा है। प्रार्थी विभाग का मौके पर कब्जा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेखों के दस्तावेज के माध्यम से हैं, जो दस्तावेजात के जरिये मौके पर काबिज हुए, मौके पर प्रार्थीगण के मालिकाना स्वामित्व टाईटल के नाप,पडौस की हद की भूमि की सुरक्षार्थ चारदीवारी तामीर विद्यालय भवन बना हुआ है,यहां यह निवेदन करना उचित है,कि उक्त चारदीवारी किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि या प्रतिबंधित श्रेणी की अन्य भूमि की परिधि में नहीं है,क्योंकि विद्यालय भवन के बक्षिा दक्षिण में डामरीकरण पक्की सड़क 60 फीट चौड़ी, उसके आगे पक्की दीवार हैं, तथा उससे आगे तटबंदी/हदबंदी की दीवार बनी हुई है, उसके आगे/बाद लूणी नदी की भूमि आयी हुई हैं, जहां पर लूणी नदी का बहाव क्षेत्र हैं, प्रार्थी विभाग की भूमि की हद में कभी भी लूणी नदी का बहाव क्षेत्र नहीं रहा और न है। प्रार्थी विभाग बतौर मालिक टाईटल धारक की



*(Signature)*  
5.1.2023  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

हैसियत से काबिज हैं,कभी भी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज नहीं रहे और न हैं, किन्तु बेवजह प्रार्थी विभाग को परेशान की गर्ज से गलत तौर से उन्हें लूणी नदी के बहाव क्षेत्र में होना बताया गया,जबकि प्रार्थी विभाग मूल रूप से खसरा संख्या 299 पुराने पर काबिज हैं, मौके पर प्रार्थी विभाग का कब्जा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि या लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं आ रहा है, जिससे भी स्पष्ट हैं, कि प्रार्थी विभाग अतिक्रमी नहीं है। वर्तमान खसरा संख्या 1741/982 की तरमीम द्वितीय सेटलमेंट के दरमियान अशुद्ध रूप से कर दी गई, जबकि सेटलमेंट विभाग को भूमि की किस्म या भूमि की आकृति या खातेदारी अधिकारों में कमी या अधिकता, भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, यदि मूल पुराने खसरा संख्या को आधार बनाकर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड नक्शा की दुरस्ती की जाती है, तो प्रार्थी विभाग के स्वामित्व की भूमि लूनी नदी के बहाव क्षेत्र से करीब 250 फीट से अधिक दूरी पर हैं,कि पुराने खसरा संख्या की भूमि का स्थाई बिन्दु से नाप कर नक्शा में द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटि को दुरस्त करते हुए रेकॉर्ड दुरस्त किया जावे,ताकि बेवजह टाईटल धारक प्रार्थी विभाग को परेशानी नहीं हो, रेकॉर्ड में जो त्रुटि हुई हैं, वो ऐरर एपिरियन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड हैं, जिसकी दुरस्ती करना न्याय हित में आक्यक हैं। अतः में अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर राजस्व रेकॉर्ड नक्शा में हुई लिपिकीय त्रुटि जो ऐरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड हैं, की दुरस्ती कर मौके पर काबिज प्रार्थी विभाग के खसरा संख्या पुराने 299 में होना मान कर उसकी स्थाई बिन्दु से नाप करने के बाद पुराने आबादी के खसरा संख्या के अनुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

6.इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है,कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है,जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 2012 अर्थात् सन् 1955 में हुआ था, प्रथम सेटलमेन्ट में जहां आबादी मौके पर बसी हुई थी,जिसका रकबा राजस्व रेकॉर्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में किया गया,तो नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया,जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व डूब क्षेत्र का बारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है तथा पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी विभाग का भवन गैर मुमकिन नदी में निर्मित किया हुआ है,जो कि गैर कानूनी है। विवादित भूखण्ड खसरा संख्या 299 में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकॉर्ड दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से



5.1.2023  
 उप खण्ड अधिकारी  
 (S.D.O.) बालोतरा

बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया, कि राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौरान कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवंश गलती हुई हो, लेकिन हरतगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितबद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड़ में राजस्व अभिलेख व नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि गत भू प्रबंध एवं वर्तमान भू प्रबंध के नक्शों का सुपरइम्पोजिशन मानचित्र एक पैमाने पर लिया जाता है, तो आंशिक भाग गैर मुमकिन नदी होने व शेष भाग पूर्व से ही आबादी क्षेत्र का होना पाया जाता है। लेकिन प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रचलित भू प्रबंध के दौरान विवादित भूमि के कब्जा/विधिक स्वामित्व होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है, कि प्रार्थी विधालय भवन परिसर खसरा संख्या 299 में स्थित है, मौके की स्थिति अनुसार प्रार्थी के परिसर के आस-पास बने हुए निर्मित परिसर भी आबादी की भूमि में है। लेकिन प्रार्थी विधालय भवन परिसर आबादी की भूमि में होने के उपरांत भी सेटलमेन्ट विभाग के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी विधालय भवन परिसर आबादी भूमि को गैर मुमकिन नदी में रेकॉर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई। जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकॉर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी विधालय भवन परिसर को आबादी खसरा संख्या 299 भूमि में होना मानकर राजस्व अभिलेख व नक्शों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जिसमें पाया कि तहसीलदार पंचपदरा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी वर्तमान भू प्रबंध के खसरा संख्या 870 में काबिज है, जो गैर मुमकिन नदी है। इस प्रकार प्रार्थी जिस भू-भाग पर विधालय भवन परिसर होना बता रहे हैं, वह गत सेटलमेन्ट अनुसार भी गैर मुमकिन नदी में आता है, इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/भूखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है, जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट सन् 1955 में हुआ था तथा द्वितीय



*(Handwritten Signature)*  
5.1.2023  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

सेटलमेन्ट भी सन् 1967 में हुआ था। तत्समय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा विस्तृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड स्थिति अनुसार रेकर्ड संधारण किया था, जो कि विवादित भूखण्ड आबादी में नहीं होकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है, कि प्रार्थी विवादित भूखण्ड की रेकर्ड दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेन्ट को हुए लगभग 65 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय सेटलमेन्ट भी हो चुका है। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर आबादी के खसरा नम्बर 299 में है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये हैं, कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर आबादी खसरा संख्या 299 भूमि में आती है, यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि मौखिक कथन से राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। विप्रार्थी की ओर से दिनांक 09.9.2022 को प्रस्तुत तर्क अनुसार विवादित भूमि का आंशिक हिस्सा गैर मुमकिन नदी में होने व शेष हिस्सा आबादी क्षेत्र का भाग होना बताया है, लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। यह अपने आप में विरोधाभासी तर्क है, जो कि मानने योग्य नहीं। अदालत के ध्यान में यह भी आया है कि प्रथम भू प्रबंध के समय उस उक्त फ़ाट प्रार्थी का किसी प्रकार का टाईटल नहीं है, जिससे कि वह भू प्रबंध की प्रक्रिया को चुनौती दे सकें। हमारे द्वारा प्रथम भू प्रबंध एवं द्वितीय भू प्रबंध के खसरा संख्या का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत प्रकरण सूओ-मोटो (suo moto) अब्दुल रहमान बनाम सरकार से पूर्णतया चस्प होता है। जिसके अनुसार जल प्रवाह क्षेत्र में किसी प्रकार का भौतिक एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, न ही किसी प्रकार का आवंटन, नियमन इत्यादि किया जा सकता है। प्रार्थी अपना टाईटल अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं कर सके है। द्वितीय भू प्रबंध सेटलमेंट सन 1967 में हुआ है, जो आदिनांक तक प्रभावी है। राजस्थान कस्तकारी अधिनियम 1956 से लागू है, जिसके अनुसार धारा 16 नदी प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। अतः सक्षेप में कस्तकारी अधिनियम वर्ष 1967 से किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारी नहीं दिए जा सकते थे, अतः अवलोकन से सिद्ध है कि सुपर इम्पोजिशन में भी उक्त खसरा नदी का भू भाग/जल प्रवाह क्षेत्र में है। इस प्रकार प्रार्थी टाईटल व मौका अनुसार किसी प्रकार का सामर्थ नहीं रखते हैं। अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है, कि आवेदन-पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य व दस्तावेजी साक्ष्य



12/05/2023  
 5.1.2023  
 उप संचालक अधिकारी  
 (S.D.O.) बालोतरा

उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तस्मीम दुरुस्ती योग्य हों। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

*(Handwritten signature)*

(निवेदन व्यास) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05-1-2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

*(Handwritten signature)*  
5-1-2023

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

